



प्रेस नोट थाना दक्षिण दिनांक 24-01-2026 जनपद फिरोजाबाद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना दक्षिण पुलिस टीम द्वारा टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देने वाले 02 शातिर अभियुक्तगण 1. अली खान उर्फ रजा 2. जावेद अली को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार ।

- पुलिस मुठभेड़ के दौरान शातिर अभियुक्तगण अली खान उर्फ रजा व जावेद खान पैर में गोली लगने से हुए घायल.....
- अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अवैध तमंचा मय 04 जिन्दा, 06 खोखा कारतूस, 02 जोड़ी तौडिया व 12 जोड़ी बिछिया (सफेद धातु), 01 चैन(पीली धातु) बरामद...
- घायल अभियुक्तगण को उपचार हेतु पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भिजवाया गया....

दिनांक 23-01-2026 को वादी सुनील कुमार जैन की दुकान से 12 जोड़ी बिछिया व दो जोड़ी तोडिया व एक चैन सोने की टप्पेबाजों द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में आज दिनांक 24-01-2026 थाना दक्षिण पर तहरीर दी गयी । उक्त तहरीर के आधार पर थाना दक्षिण पर मु0अ0स0 87/2026 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व दिनांक 23.01.2026 को थाना दक्षिण क्षेत्रान्तर्गत में हुई टप्पेबाजी की घटना के सम्बन्धत में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया था । गठित टीमों द्वारा सीसीटीवी कैमरों की गहन जांच एवं प्राप्त फुटेज के आधार पर अभियुक्तों की पहचान की गई, जिसमें अलीखान उर्फ रजा पुत्र इनायत खान निवासी ग्राम जाबरा थाना बीमा खेडी जिला रतलाम मध्य प्रदेश व जावेद अली पुत्र जहांगीर अली निवासी ग्राम जाबरा थाना बीमा खेडी जिला रतलाम मध्य प्रदेश का नाम प्रकाश में आया ।

इसी क्रम में आज दिनांक 24-01-2026 को थाना दक्षिण पुलिस को मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि मु0अ0सं0 87/2026 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना दक्षिण से सम्बन्धित अभियुक्तगण लालऊ क्षेत्र में जंगलों में छिपे हुए हैं एवं किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं । उक्त सूचना पर थाना दक्षिण पुलिस टीम द्वारा लालऊ क्षेत्र में दबिश दी जा रही थी । इसी दौरान सामने से दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए तो पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया, तो संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम को अपनी तरफ आता देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गयी । पुलिस टीम द्वारा खुद को बचाते हुए

आत्मरक्षार्थ की गयी जबाबी फायरिंग में दोनों अभियुक्तगण के पैरों में गोली लग गयी। घायल संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान अलीखान उर्फ रजा पुत्र इनायत खान निवासी ग्राम जाबरा थाना बीमा खेडी जिला रतलाम मध्य प्रदेश व जावेद अली पुत्र जहांगीर अली निवासी ग्राम जाबरा थाना बीमा खेडी जिला रतलाम मध्य प्रदेश के रूप में हुई है जो थाना दक्षिण के मु0अ0सं0 87/2026 धारा 305/317(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण है। अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अवैध तमंचा मय 04 जिन्दा, 06 खोखा कारतूस, 02 जोड़ी तोडिया व 12 जोड़ी बिछिया (सफेद धातु), 01 चैन (पीली धातु) बरामद हुए हैं। घायल अभियुक्तगण को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम-पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त:-

1. अलीखान उर्फ रजा पुत्र इनायत खान निवासी ग्राम जाबरा थाना बीमा खेडी जिला रतलाम मध्य प्रदेश।
2. जावेद अली पुत्र जहांगीर अली निवासी ग्राम जाबरा थाना बीमा खेडी जिला रतलाम मध्य प्रदेश।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अलीखान उर्फ रजा उपरोक्त

- 01-मु0अ0स0-87/2026 धारा 305/317(2) बीएनएस
- 02-मु0अ0स0- 91/26 धारा 109 (पु0मु0) /352/351(2) बीएनएस थाना दक्षिण
- 3.मु0अ0स0 210/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व धारा 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली इटावा
- 4.मु0अ0स0 09/2023 धारा 392/411 भादवि थाना मंसूरपुर मुजफ्फरनगर
- 5.मु0अ0स0 4/23 धारा 392/411 भादवि थाना तीतरो सहारनपुर
- 6.मु0अ0स0 10/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तीतरो सराहनपुर
- 7.मु0अ0स0 32/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना तीतरो सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जावेद उपरोक्त

- 01-मु0अ0स0-87/2026 धारा 305/317(2) बीएनएस
- 02-मु0अ0स0-91/26 धारा 109 (पु0मु0) /352/351(2) बीएनएस थाना दक्षिण

अभियुक्त अलीखान उर्फ रजा से बरामदगी

1. एक पीली धातू की जंजीर
2. एक जोड़ी तोडिया सफेद धातू की
3. दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. एक अदद तमंचा 315 बोर
5. 03 खोखा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त जावेद खान से बरामदगी

1. 12 जोड़ी बिछिया सफेद धातु
2. एक जोड़ी तोडिया सफेद धातु की
3. दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. एक अदद तमंचा 315 बोर
5. 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० योगेन्द्र पाल सिंह थाना दक्षिण फिरोजाबाद
2. उ०नि० श्री सिंहराज सिंह थाना दक्षिण फिरोजाबाद
3. उ०नि० श्री योगेश कुमार थाना दक्षिण फिरोजाबाद
4. का० 135 ओमकार सिंह थाना दक्षिण फिरोजाबाद
5. का० 504 गजेन्द्र सिंह थाना दक्षिण फिरोजाबाद
6. का० 139 कुलदीप कुमार थाना दक्षिण फिरोजाबाद